



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 074648

(प्राप्ति-अ)

सत्र 2023-24 में नवम्बरित की जाने वाली डिस्ट्रीब्यूशन इन कार्मिक संस्थाओं की सीलडटी/ट्रस्ट की अधिकारी और सहायता हाउस एस्स्यु दिल्ली द्वारा जीवनी अधिक-पत्र का प्राप्ति-

हम सीमित गुजरात चाल एवं भी अधिक पत्र इनमें अधिक एवं विविध मुनाफाल कीलती देखी एवं उत्तराधिकार देखाएँ। आम-कोइटट, पीस्ट-गायथाट, लैट-एनपट्टा, जिला-सन्तानीर नगर राज्यवृत्ति निम्नलिखित द्वारा करती है-

1. यह कि हमारी सीलडटी/ट्रस्ट द्वारा मुनाफाल कीलती देखी कालेज आई पार्सिकी आम-कोइटट, पीस्ट-गायथाट, लैट-एनपट्टा, जिला-सन्तानीर नगर नामक डिस्ट्रीब्यूशन इन कार्मिकी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से होना चाहती है।
2. यह कि हमारी सीलडटी/ट्रस्ट के नाम मुनाफाल कीलती देखी एवं उत्तराधिकार देखाएँ सीलडटी, आम-कोइटट, पीस्ट-गायथाट, लैट-एनपट्टा, जिला-सन्तानीर नगर ने गांठ संख्या 402 एवं 387 रकमा 0.8174 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी वाद डिस्ट्रीब्यूशन की अधिकार नहीं चल पहा है और भूमि विवाद रहेह है।
4. यह कि उपरोक्त यही पर सीलडटी/ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के बाटा संख्या 402 एवं 387 रकमा 0.8174 हेक्टेयर चर उपरोक्त नाम की डिस्ट्रीब्यूशन इन कार्मिकी संस्थान की स्थापना होने जाने का द्वारा उत्तराधिकार देखी एवं विवाद नहीं चल पहा है। इसलिए सीलडटी/ट्रस्ट की दैडक दिनांक 15-10-2020 द्वारा पारित होना चाहिए।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिस्ट्रीब्यूशन इन कार्मिकी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण एवं उपलब्ध कराना। अनुमोदित नहीं के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन का वापसी कराना है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के सम्मान परिवेश पर लोकाङ्की / ट्रस्ट के नाम सूचि पर उत्तर पर अधिकारी एवं नियन्त्रित भवनों को ही निरीक्षण समिति के सम्मान निरीक्षण हेतु जगह किया जाया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर अधिकारी भवनों पर कार्रवाई कारबोरिल आपके इच्छिता नहीं दिल्ली के नियन्त्रण के कारणगता की डिप्लोमा इन कार्रवाई सम्बन्धीन बाही हास्यालय किया जायेगा।
8. यह कि, इस सम्बन्ध में कार्रवाई कारबोरिल आपके इच्छिता, नहीं दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्रतीक्षित कार्रवाई का अनुसार भी साहाय्यालय में उपलिख्य जगह किया जायेगा।
9. यह कि राष्ट्रीय सूचि पर उत्तर पर अधिकारी भवनों में कार्रवाई कारबोरिल आपके इच्छिता, नहीं दिल्ली से अनुमोदित एवं प्रतीक्षित किया परिवर्तन, उपलब्ध सम्बन्ध से सम्बद्ध सम्बन्ध एवं पाठ्यक्रमों के अन्तर्वित्त किसी अन्य परिवर्तन/विविधालय द्वारा अनुमोदित/उन्नाम लोट्टे अन्य सम्बन्ध/विवाहलय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संबंधन न की पूर्ण में कार्रवाई किया जाया है, और न ही अधिकारी में कार्रवाई किया जायेगा।
10. यह कि, सम्बन्ध के सम्बन्ध द्वारा आवश्यक प्रतीक्षित कार्रवाई की अदि को कार्रवाई कारबोरिल आपके इच्छिता, नहीं दिल्ली द्वारा उपलिख्य किया परिवर्तन के भवनों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।
11. यह कि, सम्बन्ध के सम्बन्ध द्वारा आवश्यक कीलिक एवं अंतिक बदल की उपलब्धी लोकाङ्की / ट्रस्ट द्वारा कार्रवाई के पूर्ण कार्रवाई किया जायेगा।
12. यह कि, सम्बन्ध / परिवर्तन द्वारा लिंगल लिंटेंडो / आईटीआई का भलीभांती पालन कराया। यदि नव सम्बन्ध में लिंटी, पूर्ण उपलब्ध सुनिश्चित निरीक्षण में सम्बन्धानुसार लोट्टे भी कमी पाई जाती है तो परिवर्तन की उपलिख्य द्वारा अनुमोदित एवं सम्बद्ध समिति द्वारा किया गया किसी अभियन्त्र हीना एवं पूर्ण जाप होगा। इस द्वारा की उपलिख्य द्वारा किसी भी कार्रवाई की जाएगी।

रु. ५० रुपये

प्राप्ति दाता का नाम:

रु. ५० रुपये

प्राप्ति दाता का नाम: